

अत्यावश्यक
पंचायत उप निर्वाचन, 2023



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार

STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या-पं0नि0-30-34 / 2025.....
प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा(भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक- 5.5.25

विषय :- पंचायत उप निर्वाचन, 2025 हेतु निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस कार्यालय का आदेश ज्ञापांक-1461 दिनांक-05.12.2020 द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-125(2) एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 (यथासंशोधित) के नियम-29 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 एवं आम निर्वाचन के पश्चात पंचायतों में कतिपय कारणों से होने वाले रिक्त पदों के उप निर्वाचन के लिए आपको जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जा चुका है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-125(3) एवं 125(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत उप निर्वाचन 2025 के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) के नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला पदाधिकारी को प्रधिकृत किया जाता है। तदनुसार निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) नियुक्त करने की कृपा की जाए।

3. गृह जिला में पदस्थापित/03 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित किसी पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. नियुक्त किये गए सभी निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष संख्या से संबंधित सूचना आयोग को भी उपलब्ध करायी जाए।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक- पं0नि0-30-34 / 2025.....
प्रतिलिपि:- आई.टी. सेल राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 5.5.25

सचिव।

ज्ञापांक— पं0नि0-30-34 / 2025 2023
प्रतिलिपि:— सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक— 5.5.23
सचिव।

ज्ञापांक— पं0नि0-30-34 / 2025 2023
प्रतिलिपि:— सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक— 5.5.23
सचिव।